न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 148/2017 अपील (GCMS/2017/00119)
पंजीयन दिनांक - 09.11.2017
निर्णय दिनांक - 03.01.2022

1. **श्री वकता पिता स्व. श्री रामा पटेल, निवासी अदकालिया हाल माणस तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **श्रीमती कसनी बाई पुत्री श्री रामा पटेल पत्नि श्री भेरा पटेल, निवासी माणस तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।**
2. **श्रीमती लालीबाई पुत्री श्री रामाजी पटेल पत्नि फत्ता पटेल, निवासी बांसवारी तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।**
3. **श्रीमती तुलसी बाई पुत्री श्री रामाजी पटेल पत्नि श्री अमरचन्द पटेल, निवासी सुल्तान जी का खेरवाड़ा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।**
4. **ग्राम पंचायत कंथारिया जरिये सरपंच तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।**
5. **श्री रोशनलाल पिता श्री गणेश पटेल,**
6. **मुस.दौलीबाई बेवा श्री गणेश पटेल,**
7. **श्री किशनलाल पिता श्री देवा पटेल,**
8. **गीता पुत्री श्री देवा पटेल,**
9. **मु. गंगा बेवा श्री देवा पटेल,**
10. **श्री हीरालाल पिता श्री गणेश पटेल**
11. **श्रीमती नानी बाई पुत्री स्व. श्री रामाजी पटेल पत्नि श्री वरदीचन्द पटेल, सर्व निवासीयान अदकालिया तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री सचिन जोशी - वकील अपीलार्थी

प्रकरण संख्या-01/2015, में श्रीमती कसनीबाई व अन्य बनाम ग्राम पंचायत कंथारिया व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झाडोल (कैंप कंथारिया) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 03.01.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झाडोल (कैंप कंथारिया) द्वारा प्रकरण संख्या-01/2015, में श्रीमती कसनीबाई व अन्य बनाम ग्राम पंचायत कंथारिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 क्रमशः श्रीमती कसनीबाई, लालीबाई, तुलसी बाई द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झाडोल समक्ष समक्ष ग्राम पंचायत कंथारिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-164 दिनांक 14.08.1997 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की एवं कथन किया कि उनकी, अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थीगण 1 से 3, 5 से 11 (वर्तमान अपील के) की मौरूसी कृषि भूमि ग्राम अदकालिया में स्थित है। इस परिवार के मूल पुरूष श्री रामा होकर उसके वारिसान श्री वक्ता, श्री डुंगा (लाऔलाद फौत), श्री गणेश (फौत-उसके वारिसान दोलीबाई, रोशन, हीरालाल), श्रीमती कसनीबाई, श्री देवा (फौत-उसके वारिसान गंगाबाई, किशन, गीता), नानीबाई, लालीबाई, मोहन एवं तुलसीबाई हुई। श्री रामा की मृत्यु वर्ष 1997 होने उपरान्त ग्राम पंचायत कंथारिया द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 14.08.1997 को स्वीकृत किया गया जिसमें श्रीमती कसनीबाई, लालीबाई, तुलसी बाई व श्रीमती नानीबाई के नाम अंकन किया गया जबकि पक्षकारगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है और श्रीमती कसनीबाई, लालीबाई, तुलसी बाई व श्रीमती नानीबाई का भी मृतक रामाजी के सम्पत्ति में हक व अधिकार है। ऐसे में ग्राम पंचायत का आलौच्य नामान्तरकरण अपास्त किया जावें।

- उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झाडोल द्वारा कैम्प कोर्ट कंथारिया में रख निर्णय दिनांक 05.06.2017 पारित किया कि **''पटवारी हल्का, सरपंच कंथारिया व ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत सजरा से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत कंथारिया द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश तथ्यों तथा नियमों के विपरित है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में राजस्थान भू-राजस्व नियमावली 1957 के नियमों की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश तथ्यों एवं नामान्तरकरण नियमों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में ग्राम पंचायत कंथारिया द्वारा पारित ग्राम अदकालिया का नामान्तरकरण संख्या 164 आदेश दिनांक 14.08.97 को तथ्यों व नामान्तरकरण नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार झाडोल को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व नियमावली 1957 के नियमों को पालन करते हुए पुनः जांच कर एक माह में नियमानुसार आदेश पारित करें।''**

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झाडोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 29.11.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 29.11.2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 03.01.2022 को वकील अपीलार्थी उपस्थित।

प्रत्यर्थीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित होने से उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि मामलें का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण करने के प्रयोजन से पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प कंथारिया पर रखी गई एवं इसके पूर्व न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय में पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत थी। अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता शिविर में उपस्थित नहीं थे। अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट को नहीं सुना गया और अपीलान्ट को सुने बिना दिनांक 05.06.2017 को न तो आक्षेपित आदेश लिखाया गया, न ही सुनाया गया, न ही शिविर में टंकण सुविध उपलब्ध थी। आलौच्य नामान्तरकरण की प्रथम अपील 27 वर्ष उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जो बेरून मयाद होने से खारिज की जानी थी जो नहीं की गई। नामान्तरकरण 164 उपरान्त खातेदारों द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमियों अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी जिससे अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उनको पक्षकार बनाया जाना था जिसे न बनाया गया। आलौच्य आदेश अपीलार्थी की परोक्ष पारित किया जिससे उसको अपीलीय आदेश की जानकारी नहीं हुई और जानकारी प्राप्त होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2017 अपास्त किया जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष कैंप कोर्ट में प्रत्यर्थी कसनीबाई, लालीबाई, सरपंच, मु.स. दौलीबाई, किशनलाल, गीता, मुस. गंगा एवं श्री हीरा ही उपस्थित हुए जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी किया गया। अन्य पक्षकारान जिसमें वर्तमान अपील के अपीलार्थी श्री वक्ता भी शामिल है, कैंप कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के अपीलार्थी श्री वक्ता के नाम कैंप कोर्ट में उपस्थित बाबत नोटिस तैयार किया गया परन्तु तामिली की कार्यवाही नहीं की गई। नोटिस की दोनों परत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ही उपलब्ध है जो यह प्रकट करती है कि वर्तमान अपील के अपीलार्थी श्री वक्ता को कैंप कोर्ट में पेशी नियत करने से पूर्व न ही सूचित किया और न ही सूचना पत्र जारी किया गया, जो लोक अदालत की भावना के विपरित है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी प्रकरण में निर्णय/आदेश पारित किये जाने से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पर्याप्त एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकरण में नहीं पाया गया। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील 17 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने से पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना था, जिसमें संबंध में विभिन्न न्यायालयों ने यह

सिद्वान्त पारित किया है कि अपील/वाद के निस्तारण से पूर्व धारा-5 मयाद अधिनियम एवं अन्य प्रार्थना पत्रों का विधि के सुस्थापित सिद्वान्त के अनुसरण में निस्तारण आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा उजर प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक मोहन के नाम पर आदेश/निर्णय पारित किया जबकि उसकी मृत्यु के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सजरे में अंकन किया गया है। यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक मोहन के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, किसी भी मृतक के विरूद्ध आदेश पारित किया जाना कतई विधि सम्मत नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस यह भी उजर प्रस्तुत किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के उपरान्त खातेदारान द्वारा विवादित भूमि का आगे विक्रय किया गया जिसके संबंध में नामान्तरकरण पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में वर्तमान राजस्व अभिलेखों का अध्ययन नहीं किया गया। न ही विवादित भूमि के वर्तमान खातेदारान जिन्होनें पंजीकृत विक्रय विलेखों से भूमि क्रय की, को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार बनाया गया जो आवश्यक था। दौराने अपीलीय कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा इसी भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल द्वारा प्रकरण संख्या 61/2005-बटवाड़ा में पारित आदेश दिनांक 25.01.2012 की प्रति प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को कथन है कि उसको नहीं सुने जाने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरित सभी पक्षकारान को सूचित नहीं किया गया, न ही उन्हें सूना गया, न ही वर्तमान राजस्व अभिलेख का परिक्षण किया और न ही वर्तमान खातेदारान को सूना गया। यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करना उचित नहीं समझता है। यह न्यायालय हस्तगत प्रकरण को सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान कर, वर्तमान राजस्व अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त सभी संबंधित खातेदारान को सुनते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों का बाद विश्लेषण व परिक्षण पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.06.2017 अपास्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस निर्णय के उपरोक्त पेरा में किये गये वर्णन एवं विधिक स्थिति में परिपेक्ष्य में सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान कर, वर्तमान राजस्व अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त सभी संबंधित खातेदारान को सुनते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों का बाद विश्लेषण व परिक्षण नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल को पालनार्थ प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर